राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 3/2018 दायर दिनांकः—12.01.2018

1. श्रीमती केलकी पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी स्व. श्री किशनाराम जाति बावरी उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान
2. श्रीमती गोगा पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी श्री रतनाराम जाति बावरी उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान
3. श्रीमती नोरती पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी श्री तेजा जाति बावरी उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान
4. श्रीमती सुगना पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी श्री बंशी जाति बावरी उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान

.....वादियागण

बनाम

1. रूघा पुत्र स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
2. जगदीश पुत्र स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
3. हरदीन पुत्र स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
4. मुन्नी पुत्री स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
5. नाथी पुत्री स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
6. ग्यारसी पत्नी स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग (फौत)
7. मीरा पत्नी स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
8. गोपाल पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
9. रामचन्द्र पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
10. किशोर पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
11. रामस्वरूप पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
12. गोदावरी पुत्री स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
13. सन्ता पुत्री स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
14. श्रवण पुत्र मूला जाति बावरी, बालिग
15. केलाश पुत्र मूला जाति बावरी, बालिग
    सर्व निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0
16. श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
17. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

निर्णय

दिनांक 05.10.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादियागण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के दादा/ससुर लादू पुत्र प्रताप बावरी की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी ग्राम राजपुरा पटवार हल्का नवां भू0अ0नि0 थल तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान के खसरा संख्या 59 रकबा 03–10 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 16–15 बीघा, कुल किता 02 का कुल रकबा 20–05 बीघा भूमि स्थित है। जिसका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो रखा है। वादियागण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के दादा/ससुर लादू पुत्र प्रताप बावरी के फौत होने पर उनके वारिसान का पारिवारिक सजरा संलग्न है। लादू पुत्र प्रताप के फौत होने पर उनके चार पुत्रगण वारिसान भंवरा, रामदीन, पन्ना व मूला के नाम विरासत से वाद वर्णित आराजी में प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज होना चाहिए था परन्तु वादियागण के पिता भंवरा स्व. लादू का जायन्दा पुत्र होते हुए उसका नाम छोड़कर शेष वारिसान रामदीन, पन्ना के नाम 2/3 हिस्सा एवं मूला के वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम 1/3 हिस्सा दर्ज कर दिया जो गलत इन्द्राज हो रखा है। उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने एवं वाद वर्णित आराजी में वादीगण के पिता का निहित हिस्सा 1/4 वादीगण के नाम दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 स्व. रामदीन के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 लगायत 13 स्व. पन्ना के वारिसान के नाम 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम हिस्सा 1/4 दर्ज होना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के पूर्वजो एवं वारिसान के नाम गलत इन्द्राज होने से उनके नाम से खोले गये नामान्तकरण वादियागण के हक हिस्से अधिकारों तक शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त हिस्से अनुसार वादियागण अपने 1/4 हिस्से की खातेदारी अधिकारो की घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादियागण स्व. भंवरा की जायन्दा पुत्रियां होकर उनकी प्रथम श्रेणी की वारिसान है तथा उक्त वर्णित पुश्तैनी आराजी में वादियागण का जन्म से हक हिस्सा अधिकार निहित है। जिस पर वादियागण काबिज काश्त है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रचलित प्रावधानों के अनुसार वादियागण के दादा व पिता की पुश्तैनी आराजी में वादियागण का हक हिस्सा अधिकार निहित है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 पुश्तैनी पैतृक आराजी सम्पूर्ण भूमि को अवैधानिक रूप से बैचान, हस्तान्तरण करने पर आमादा है। वादियागण के दादा व पिता के फौत होने के पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के पूर्वज एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 ने गलत रूप से हिस्सा आराजी का विरासत नामान्तरकरण दर्ज करवा रखा है तथा वादियागण के पिता स्व. भंवरा का 1/4 हिस्सा को भी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 खुर्द बुर्द करने पर आमादा है। इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। वादियागण ने [illegible] स्व. भंवरा पुत्र लादू का मुत्यु प्रमाण पत्र व उनके वारिसान का सजरा प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज लेकर पटवारी हल्का के पास

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए गये तब पटवारी हल्का ने वादियागण के पिता व दादा की कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड देख कर बताया कि वादियागण के दादा की जमीन में वादियागण के पिता का नाम दर्ज नहीं है इस कारण तुम्हारे विरासत का नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सकता है, उक्त की जानकारी वादियागण को होने के पश्चात वादियागण अपने तीनों काका के लड़कों के पास जाकर उनको बताया कि उनके दादा की जमीन में उनके पिता का नाम दर्ज नहीं हो रखा है तथा केवल मात्र तुम्हारे पिता के नाम ही दर्ज है जो गलत है। हमारे पिता की विरासत हमारे नाम से दर्ज करावे तब प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 ने वादियागण को आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे नाम राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवा कर तुम्हारा नाम तुम्हारे पिता की 1/4 हिस्सा आराजी पर दर्ज करवा देंगे। वादियागण अपने काका के लड़को वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के विश्वास में रही परन्तु वादियागण बार बार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 को कहने पर भी वादियागण के पिता के हिस्सा 1/4 की जमीन वादियागण के नाम दर्ज नहीं करवायी तथा दिनांक 19.11.2017 को इन्कार कर दिया तथा कहा कि हम इस जमीन को बैचान करके रहेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकती हो तुम्हारे नाम जमीन नहीं है। तब वादियागण ने पटवारी हल्का के पास जाकर वाद वर्णित पुश्तैनी आराजी की जमाबंदी की नकल प्राप्त कर अविलम्ब रूप से वाद पेश कर रही है, तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रतिवादी सख्या 16 तहसीलदार महोदय, रूपनगढ़ है जिन्हें भूमिधारी होने से पक्षकार बनाया है। प्रतिवादी सख्या 17 उप पंजीयक महोदय, रूपनगढ़ है जो सम्पति अन्तरण, हस्तान्तरण से संबंधित दस्तावेज विक्रय पत्र आदि का पंजीयन करता है इसलिए पक्षकार बनाया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 के द्वारा वाद वर्णित आराजी का किसी भी तरह का अन्तरण, हस्तान्तरण का दस्तावेज विक्रय पत्र आदि पंजीयन हेतु पेश करे तो उसका पंजीयन नहीं करे इसलिए प्रतिवादी संख्या 17 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी संख्या 16 व 17 राज्य सरकार के अधीनस्थ अधिकारी है जिसको वाद पक्षकार संयोजित पूर्व धारा 80 सी.पी.सी. का 2 माह का नोटिस देना अनिवार्य है तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 पुश्तैनी पैतृक आराजी को बैचान, हस्तान्तरण करने को आमादा है इस कारण वादियागण का वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण वादियागण के वाद पत्र के साथ 2 माह के प्रावधित प्रावधानों से छूट स्वीकृति हेतु धारा 80(2) सी.पी.सी. का प्रा0पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। चूंकि वादियागण का वाद आवश्यक प्रकृति का है। वादियागण 2 माह का इन्तजार करती है तो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बैचान, हस्तान्तरण खुर्द, बुर्द करने में सफल हो जायेंगे एवं वाद उद्धेश्यहीन हो जायेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 5 से 13, 16 व 17 के सम्मन तामिलशुदा तथा प्रतिवादी संख्या 5, 14 व 15 के सम्मन अदमतामिल प्राप्त हुये। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 व 6 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3, 5 व 7 लगायत 15 की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रकरण में तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से भी जवाब पेश किया गया। प्रकरण में तनकियात कायम कर स्पष्ट की गई। वादीगण द्वारा पेश किये गये शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पर वादी संख्या 2, 3 व 4 के बयान लिये गये। अन्य गवाहान हनुमान पुत्र [illegible] जाति जाट निवासी राजपुरा व बलदेव पुत्र जवारा जाति बावरी निवासी राजपुरा के भी शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पर बयान लिये गये। प्रकरण में वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दावे के समर्थन में वकील वादी ने डी.एन.जे. 2020(3)[Supreme Court of India] पेज नं 817 विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा का दृष्टान्त पेश किया।

मैंने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। पत्रावली के अध्ययन, अवलोकन के पश्चात वादियागण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादियागण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुरा के खसरा संख्या 59 रकबा 03–10 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 16–15 बीघा, कुल किता 02 का कुल रकबा 20–05 बीघा भूमि में वादियागण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक को वादियागण के हिस्से में आई भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया व शामिल पत्रावली किया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil procedure code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं0 03/2018

1. श्रीमती केलकी पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी स्व. श्री किशनाराम जाति बावरी उम्र लगभग 65 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान
2. श्रीमती गोगा पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी श्री रतनाराम जाति बावरी उम्र लगभग 62 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान
3. श्रीमती गोरती पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी श्री तेजा जाति बावरी उम्र लगभग 60 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम श्यामपुरा तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान
4. श्रीमती सुगना पुत्री स्व. श्री भंवरा पत्नी श्री बंशी जाति बावरी उम्र लगभग 58 वर्ष, निवासी ग्राम राजपुरा तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर, हाल निवासी ग्राम बिदियाद तहसील परबतसर जिला नागौर राजस्थान

..........**वादियागण**

बनाम

1. रूपा पुत्र स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
2. जगदीश पुत्र स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
3. हरदीन पुत्र स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
4. मुन्नी पुत्री स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
5. नाथी पुत्री स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग
6. पारसी पत्नी स्व. रामदीन जाति बावरी, बालिग (फौत)
7. मीरा पत्नी स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
8. गोपाल पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
9. रामचन्द्र पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
10. किशोर पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
11. रामस्वरूप पुत्र स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
12. गोदावरी पुत्री स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
13. सन्ता पुत्री स्व. पन्ना जाति बावरी, बालिग
14. श्रवण पुत्र मूला जाति बावरी, बालिग
15. कैलाश पुत्र मूला जाति बावरी, बालिग

    सभी निवासीगण ग्राम राजपुरा, तहसील रूपनगढ़ जिला अजमेर राज0
16. श्रीमान् तहसीलदार साहब, रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान
17. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय, रूपनगढ़ जिला अजमेर

...प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री भंवरलाल जनागल आर.ए.एस व हाजरी वादी मिजानेब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर अंतिम डिक्री किया जाता है कि वादी का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम राजपुरा के खसरा संख्या 59 रकबा 03–10 बीघा, खसरा संख्या 60 रकबा 16–15 बीघा, कुल किता 02 का कुल रकबा 20–05 बीघा भूमि में वादियागण को 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 15 तक को वादियागण के हिस्से में आई भूमि के उपयोग, उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 05.10.2021 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.12.15 14:53:40 IST
Reason: SelfAttested